न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 01/2020

वादीगण :—

1. ओमप्रकाश मेहता पुत्र पुरुषोत्तमदास मेहता, जाति महेश्वरी,
2. निलेश मेहता पुत्र ओमप्रकाश मेहता, जाति महेश्वरी,
3. कैलाश मेहता पुत्र ओमप्रकाश मेहता, जाति महेश्वरी,
4. **Kailash Infrabuild Pvt. Ltd. , Near Hotel Kailash International, By Pass Road, NH-15, Barmer** डायरेक्टर ओमप्रकाश मेहता पुत्र पुरुषोत्तमदास मेहता, जाति महेश्वरी, निवासी भगतों की गली, बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ओमप्रकाश पुत्र हीराराम, जाति पालीवाल निवासी मांडियावास
2. भंवरलाल पुत्र हीराराम, जाति पालीवाल निवासी मांडियावास
3. भगवानाराम पुत्र पपाराम, जाति पालीवाल निवासी मांडियावास
4. सुखदेव पुत्र पपाराम, जाति पालीवाल निवासी मांडियावास
5. झमकुदेवी पत्नि पपाराम, जाति पालीवाल निवासी मांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादपत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते बंटवाडा

दिनांक :— 17/9/20

उपस्थित :— करणसिंह सोलंकी वकील वादीगण

''निर्णय''

वादीगण ने यह वाद ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 1592/7 क्षेत्रफल 12.08.16 बीघा भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु प्रस्तुत किया हैं। वाद पत्र मे व्यक्त किया है कि खसरा नंबर 1592/7 क्षेत्रफल 12.08.16 बीघा भूमिं में वादी सं. 01 का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 02 का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 03 का 872/4976 हिस्सा, वादी सं. 04 का 2032/4976 हिस्सा हैं। प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश का 832/4976 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 02 भंवरलाल का 40/4976 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 03 भगवानाराम, प्रतिवादी सं. 04 सुखदेव, प्रतिवादी सं. 05 झमकुदेवी तीनों का संयुक्त रूप से 40/4976 हिस्सा रेकर्ड मे दर्ज है, बंटवाडा नही होने से काश्त के समय असुविधा रहती है, जिससे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पेज 2 पर लगातार...

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 पर सम्मन की उचित तामील होने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व दिनांक 08.09.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण की ओर से उनकी साक्ष्य के शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी।

वादपत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मांडियावास तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 1592/7 क्षेत्रफल 12.08.16 बीघा भूमि मे वादी सं. 01 का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 02 का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 03 का 872/4976 हिस्सा, वादी सं. 04 का 2032/4976 हिस्सा हैं। प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश का 832/4976 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 02 भंवरलाल का 40/4976 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 03 भगवानाराम, प्रतिवादी सं. 04 सुखदेव, प्रतिवादी सं. 05 झमकुदेवी तीनों का संयुक्त रूप से 40/4976 हिस्सा रेकर्ड मे दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। चूंकि वादीगण ने अभिलेख मे दर्ज उनके हिस्से अनुसार ही विभाजन चाहा है, जिससे विभाजन हेतु यह वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम मांडियावास तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 1592/7 क्षेत्रफल 12.08.16 बीघा भूमि मे वादी सं. 01 ओमप्रकाश मेहता का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 02 निलेश मेहता का 580/4976 हिस्सा, वादी सं. 03 कैलाश मेहता का 872/4976 हिस्सा, वादी सं. 04 **Kailash Infrabuild Pvt. Ltd. Barmer** के 2032/4976 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की जावे कि वे विभाजन नियमों को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्तावं प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner